

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद् द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों को सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक जो भी लागू हो जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार द्वारा लिया गया है। सम्बंधित उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों से बैंक/सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित तिथि पर "जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है" पर बेचा जाएगा। अरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि सम्बंधित सम्पत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लिखित है।

लॉट सं.	शाखा का नाम	बंधक/स्वामी के नाम के अचल सम्पत्तियों का विवरण (बंधककर्ता की सम्पत्ति (यों))	A) 13(2) SARFAESI एक्ट के तहत डिमांड नोटिस की तिथि	A) आरक्षित मूल्य (रु० लाख में)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
	खाता का नाम		B) डिमांड नोटिस की तिथि तक बकाया राशि	B) इएमडी	
	उधारकर्ता/जमानतदारों के खाता का नाम एवं पता		C) कब्जा की तिथि 13(4) SARFAESI एक्ट 2002 के अनुसार	C) बोली वृद्धि राशि	
			D) कब्जा का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	D) Baanknet प्रॉपर्टी आईडी	
01	शाखा कार्यालय : कुजु, जिला - रामगढ़ (142210)	आवासीय भूमि एवं भवन के सभी भाग, जिसका क्षेत्रफल 1.40 डिसमिल है, जो प्लॉट संख्या - 677 के एक भाग पर, खाता संख्या - 124, खेवट संख्या - 1, तौजी संख्या - 28 के अंतर्गत, मौजा - कुजु, थाना - मांडू, थाना संख्या - 154, जिला - रामगढ़, झारखंड में स्थित है। उक्त संपत्ति श्रीमती सावित्री देवी, पति - श्री प्रदीप कुमार प्रसाद के नाम विक्रय विलेख (Sale Deed) संख्या - 83/82 दिनांक 21.01.2018 के माध्यम से दर्ज है। संपत्ति की सीमाएं : उत्तर : 5 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : 12 फीट सर्वे रोड, पूर्व : श्री सुरेश साव का मकान, पश्चिम : श्री दिलीप साव का मकान	A) 22.08.2024	A) Rs 20,24,000.00	24.09.2026 11:00 AM to 04:00 PM
	श्री प्रदीप कुमार प्रसाद		B) Rs. 8,37,185.17 + further interest	B) Rs. 2,02,410.00	
	श्री प्रदीप कुमार प्रसाद, पिता - द्वारिका साव, पता - कुजु बस्ती, हनुमान मंदिर के समीप, मुरपा, थाना - मांडू, जिला - रामगढ़, पिन कोड - 825316		C) 28.05.2025	C) Rs 1,00,000.00	
	श्रीमती सावित्री देवी, पति - श्री प्रदीप कुमार प्रसाद, पता - कुजु बस्ती, हनुमान मंदिर के समीप, मुरपा, थाना - मांडू, जिला - रामगढ़, पिन कोड - 825316		D) सांकेतिक कब्जा	D) PUNBABA3781 4533	
02	शाखा कार्यालय : लरीकला (107920)	भूमि एवं भवन के सभी भाग, जिसका क्षेत्रफल 4 डिसमिल है, जो प्लॉट संख्या - 1582, खाता संख्या - 96, खेवट संख्या - 1 एवं तौजी संख्या - 28 के अंतर्गत मोहल्ला - कुशमाही टुंगरी, ग्राम/मौजा - सुकरीगढ़ा बमनी, थाना - रामगढ़, परगना - चैनगड़ा, राजस्व थाना संख्या - 124, जिला - रामगढ़, झारखंड में स्थित है। उक्त संपत्ति श्री जगदीश प्रसाद, पिता - श्री रामटहल साव के नाम दर्ज है। संपत्ति की सीमाएं : उत्तर : सड़क, दक्षिण : उमाचरण साव एवं अन्य की भूमि, पूर्व : शेष निज प्लॉट, पश्चिम : कंचन प्रसाद की भूमि/मकान	A) 17.02.2025	A) Rs 20,29,000.00	24.09.2026 11:00 AM to 04:00 PM
	श्री जगदीश प्रसाद		B) Rs. 6,97,813.21 + further interest	B) Rs. 2,02,900.00	
	श्री जगदीश प्रसाद, पिता - श्री रामटहल साव, जामुन टोला, दुर्गा मंदिर के समीप, ग्राम - सुकरीगढ़ा, बामनी, पोस्ट - लरीकला, थाना - रजरप्पा, जिला - रामगढ़, झारखंड - 825101		C) 28.05.2025	C) Rs 1,00,000.00	
			D) सांकेतिक कब्जा	D) PUNBABA4045 1911	

प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात भार का विवरण - बैंक को ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

बिक्री सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

- सम्पत्तियों को "जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जा रहा है।
- अनुसूचि में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसम्पत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जबाबदेह नहीं होगा।
- बिक्री वेबसाइट <https://baanknet.com> पर ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24.09.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक की जाएगी।
- उपरोक्त उल्लिखित बयाना राशि (EMD) को PSB Alliance Private Limited के E-Wallet में (<http://baanknet.com>) पोर्टल के माध्यम से सीधे जमा किया जाएगा अथवा उसी पोर्टल पर चालान (Challan) उत्पन्न कर, उसमें दिए गए खाते के विवरण के अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से EMD जमा किया जाएगा। यह राशि दिनांक 23.09.2026 को 16:00 बजे से पूर्व अनिवार्य रूप से जमा की जानी चाहिए।